



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 28/09/2018

File No. Tour Programme/13/VC/2018/RU-III

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड,
कोयला एस्टेट, सिविल लाईस,
नागपुर (एमएस) 440001

विषय: दिनांक 19.03.2018 से 21.03.2018 को माननीय उपाध्यक्ष, एवं सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नागपुर (महाराष्ट्र) में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में की गए समीक्षा का कार्यवृत्त ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष, एवं श्रीमती माया चिंतामण युवनाते, सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 19.03.2018 से 21.03.2018 तक नागपुर (महाराष्ट्र) में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा किए गए समीक्षा की रिपोर्ट प्रति सलग्न करते हुये अनुरोध है कि समीक्षा रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भूषदीय
28/9/2018
(डॉ. ललित लहड़ा)
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस. एन.आई.सी. एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग-भारत सरकार
दौरा प्रतिवेदन

1. -:: दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	<p>1. सुश्री अनुसुईया उईके माननीया, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार</p> <p>2. श्रीमती माया चिंतामन इवनाते माननीया सदस्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार</p> <p>3. सुश्री दीपिका खन्ना अन्वेषण अधिकारी एवं प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय, अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार, भोपाल मध्यप्रदेश</p> <p>4. श्री जितेन्द्र सोलंकी माननीया, उपाध्यक्ष के सहायक निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार</p> <p>5. श्री सुधीर आतराम माननीया सदस्या के निजी सचिव राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार</p> <p>6. सुश्री रेखा कोराम माननीया सदस्या की निजी सहायक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार</p>
2. दौरा की तिथि,दिन, दिनांक, वर्ष	दिनांक 19मार्च 2018 से 21मार्च 2018 तक तथा दिनांक 02-04-2018
3. दौरा किये गये स्थान	नागपुर, सांवनेर, माझरी(महाराष्ट्र) तथा जुन्नारदेव, छिंदवाड़ा
4. मुख्यअधिकारीगण / व्यक्ति/संगठनों से मिले	निम्नानुसार

1)	श्री राजीव रंजन मिश्र, अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक, वेकोलि
2)	डा. संजय कुमार, निदेशक, वैयक्तिक, वेकोलि
3)	श्री एस.टी. घोष,महाप्रबंधक,(औ.सं.) निदेशक, वेकोलि
4)	श्री ए.के.सिंह, विभागाध्यक्ष (कल्याण), सी.एस.आर. वेकोलि
5)	श्री डी.एम.गोखले, क्षेत्रीय महाप्रबंधक, सांवनेर
6)	श्री ए.के.सिंह, विभाग प्रमुख (सी.एस.आर./वेलफेयर) वेकोलि
7)	श्री आर.एस.सिंह, सह क्षेत्रीय प्रबंधक, सांवनेर
8)	श्रीमती शीतल पाटिल, उप महाप्रबंधक, नागपुर
9)	श्री बी. शिगोकर, वरिष्ठ प्रबंधक, नागपुर

10)	श्री पी.एस.लाल, वरिष्ठ प्रबंधक, नागपुर
11)	श्री अरुण खोब्रागडे, संपर्क अधिकारी (एस.सी./एस.टी) सेल, वेकोलि
व्यक्तिगण	
12)	श्री बी.एन. बरडे, अध्यक्ष ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी एम्प्लॉईज को-आर्डिनेशन कौंसिल, वेकोलि, नागपुर/कन्हान क्षेत्र
13)	श्री बी.जी. पुसाम, कार्याध्यक्ष ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी एम्प्लॉईज को-आर्डिनेशन कौंसिल, वेकोलि, नागपुर/कन्हान क्षेत्र
14)	श्री संजय वालिमकी, केन्द्रीय सचिव, ऑल इंडिया एस.सी./एस.टी/ओ.बी.सी एम्प्लॉईज को-आर्डिनेशन कौंसिल, वेकोलि, नागपुर/कन्हान क्षेत्र
15)	श्री कैलाश चौकीकर, एरिया अध्यक्ष
16)	श्री कृष्णानन्द धूसिया, एरिया सचिव

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

- नागपुर तथा छिन्दवाड़ा में वेकोलि की प्रमुख खदानों में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों/अधिकारियों की समस्याओं से अवगत होना।
- वेकोलि के कर्मचारी एशोसिएशन के जनजाति प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं से अवगत होना।
- वेकोलि नागपुर तथा छिन्दवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोल क्षेत्र में भारत सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जनजातियों के रोस्टर बिंदुओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की जानकारी लेना।

दिनांक 19 तथा 20मार्च 2018

दिनांक 19 मार्च तथा 20 मार्च 2018 को श्रीमती माया चिंतामन इवनाते माननीया सदस्या ने सांवनेर तथा मांझरी क्षेत्र का दौरा किया। सांवनेर तथा मांझरी क्षेत्र के वेकोलि के कार्यालय में अनुसूचित जनजाति कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली तथा उनकी सभी समस्याओं को सुना। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने ज्ञापन दिए गए। दोनों ही दिन जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर माननीया महोदया द्वारा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ बैठक ली। सभी क्षेत्रीय लाइसन अधिकारियों द्वारा पॉवरपाइंट प्रेजेंटेशन दिए गए। जिससे माननीया सदस्या सभी कोल क्षेत्रों के कार्यकलापों से अवगत हुई। विभिन्न क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के साथ उनके क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के नियुक्ति, पदोन्नति, आवास तथा अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई। चर्चा में नियुक्ति तथा पदोन्नति में बैकलॉग पर ध्यान आकर्षित करते हुए माननीया महोदया ने वर्तमान में बैकलॉग की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। विभिन्न क्षेत्रों की बैकलॉग स्थिति निम्नानुसार है :

उमरेर क्षेत्र की ईकाई में बैकलॉग की स्थिति ईकाई उमरेर क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी

क्रमांक	पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	ओवरमेन ग्रेड-बी	1	3
2	वरिष्ठ ओवरमेन (ए-1)	1	1
3	एफ.एम.आई/सी इलेक्ट्रीकल-ए	0	1
4	एफ.एम. मेकनीकल -बी	2	1

5	स्टॉफ नर्स -बी	1	0
6	एफ.एम.मेक-ए	2	1
7	ओ.एस. ए-1	1	0
8	वाहनचालक -सी	0	1
9	डम्पर ऑपरेटर (एस.पी.एल)	2	2
10	सॉल ऑपरेटर (एस.पी.एल)	1	1
11	डॉजर ऑपरेटर (एस.पी.एल)	1	1
12	ओ.एस.ए.	0	1
	कुल	12	13

ईकाई मुरपर क्षेत्र

क्रमांक	पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	एस.डी.एल./एल.एच.डी. ऑपरेटर -6	1	0
2	फिटर इलेक्ट्रिक केट -6	1	0
3	ब्लारिंटिंग क्यूमेन -5	1	1
4	ड्रल -6	1	0
5	फिटर इलेक्ट्रिक -5	1	1
6	कन्वे. ऑपरेटर -3	0	1
7	इले. हेल्पर -2	1	0
	कुल	6	3

उमरेर उप क्षेत्र ----- 1

क्रमांक	पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	डम्पर ऑपरेटर -ए	7	4
2	डम्पर ऑपरेटर -बी	1	0
3	डम्पर ऑपरेटर -सी	2	1
4	डम्पर ऑपरेटर -डी	1	0
5	ई.पी. फिटर -ए	2	2
6	ई.पी. फिटर -बी	0	3
7	ई.पी. फिटर -सी	11	10
8	ई.पी. फिटर -डी	12	7
9	ई.पी. जीएच-ई	3	1
10	सॉल ऑपरेटर -ए	2	1
11	डॉजर ऑपरेटर-ए	2	1
12	ड्रल ऑपरेटर -ए	0	1
13	ड्रल ऑपरेटर -बी	2	1
14	ड्रल ऑपरेटर -सी	1	0
15	ई.पी. वेल्डर -बी	1	0
16	ई.पी. वेल्डर -सी	1	0
17	ई.पी. इले. -ए	1	1
18	ई.पी. इले. -बी	4	5

19	ई.पी. इले. -सी	1	0
20	इलेक्ट्रिशियन केट -6	1	1
21	फिटर मेक केट-6	1	0
22	फिटर मेक केट - 5	1	1
23	पिटमेन गेड-1	1	0
24	पिटमेन गेड-2	1	0
25	वाहनचालक केट-6	3	1
26	पंप ऑपरेटर केट-4	1	0
27	पंप ऑपरेटर केट-5	1	0
28	पंप ऑपरेटर केट-6	1	0
	कुल	65	41

सांख्यिकी ईकाई द्वारा निम्नानुसार जानकारी दी गई :-

GROUPS	TOTAL EMPLOYEES	SC	ST	%
A	428	41	5	1.16
B	748	69	18	2.4
C	3703	495	142	3.83
D (ES)	2724	290	69	2.53
D (S)	20	20	0	0
TOTAL	7623	915	234	3.06



Reservation Roster Inspection Backlog Position of SC/ST in R/o WNA

S.No.	Designation	Grade/Cat	ST
1	Dumper Operator	A	6
2	Drill Opertator	A	1
3	Sr E P Electrician	A	1
4	Sr E P Mechanic	A	4
5	E P Welder	A	--
6	Tripman	II	1
7	Tripman	III	--
8	Shovel/Excav Operator	A	--
9	Blasting Mazdoor	IV	--
10	Dumper Operator	B	8
11	E P Electrician	C	1
12	E P Electrician	D	1
13	E P Welder	B	--
14	E P Electrician	B	--
15	E P Filter	D	9
16	E P Filter	B	7
17	Dumper Operator	C	6
18	Dumper Operator	D	4
19	Dozer Operator	B	1
20	Dozer Operator	C	--
21	Dozer Operator	D	--
22	Drill Operator	B	--
23	Drill Operator	C	--
24	Drill Operator	D	--
25	Excav Operator	A	--
26	Excav Operator	B	--
27	E P Fitter	C	7
28	E P Welder	D	--
29	E P Welder	C	--
30	E P Auto Electrician	C	--
31	E P Auto Electrician	D	--
32	Fitter Mechanic	VI	02
33	Fitter Mechanic	V	-1
34	Fitter Mechanic	IV	1
35	Electrician	V	1
36	Elect. Helper	II	4
37	Pump Operator	III	--
38	Pump Operator	V	2
39	Pump Operator	IV	5
40	Asst. Supervision (Transport)	C	1
41	Driver Cum Mechanic	VI	2
42	Driver	V	2
43	Asst. Foreman (Mechanic)	C	2
44	Clerk	I	3
45	Blasting Crew	V	2

S.No.	Designation	Grade/Cat	ST
46	Electrician	VI	--
47	Office Supdt.	A-I	--
48	Sr. Clerk	Special	7
49	Chief Store Keeper	A	--
50	Office Supdt.	A	7
51	Sr. Store Keeper	Special	1
52	Loading Supdt.	B	1
53	Asst. Loading Supdt.	C	--
54	Sr. Overman	A-I	2
55	Sr. Overman	A	1
56	Overman	B	2
57	Foreman Inch. (Mech.)	A	--
58	Foreman Inch. (Elect.)	A-I	1
59	Foreman Inch. (Elect.)	A	2
60	Sr. Dumper Operator	A	--
61	Foreman Mechanic	B	--
62	Foreman Inch. (Mech.)	A-I	--
63	Foreman Inch. (Mech.) (Excv.)	A	--
64	EPGH	E	2
65	Tripman	I	--
66	Excavator Operator	Special	2
67	Sr. Dumper Operator	Special	2
68	E P Fitter	C	1
69	Fitter Helper	II	2
70	Survey Mazdoor	II	--
Total =			117

Backlog in Promotion in the year 2015-16 , 2016-17 , 2017-18 in R/o WNA as below

Year	Group	Gen.Filled	SC Filled	ST Filled	Total	ST Backlog
2015-16	A	--	--	--	--	--
	B	12	10	04		12
	C	244	26	06		28
	D	67	03	01		02
		323	39	11	=373	=42

Year	Group	Gen.Filled	SC Filled	ST Filled	Total	ST Backlog
2016-17	A	--	--	--	--	--
	B	32	03	02		12
	C	106	22	06		28
	D	32	06	02		02
		170	31	10	=211	=42

Year	Group	Gen.Filled	SC Filled	ST Filled	Total	ST Backlog
2017-18	A	--	--	--	--	--
	B	09	01	01		13
	C	60	09	04		30
	D	09	--	--		03
		78	10	05	=93	=46



1.


श्रीमती माया चिंतामन ईवनाते
Smt. Mays Chintamn Inrate
 सदस्य / Member
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi


सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi

वेकोलि नागपुर के अनु.जाति तथा अनु.जनजाति कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक दिनांक

21-03-2018

ऑल इन्डिया शेड्यूल कास्ट्स/ शेड्यूल ट्राईब्स/बैकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज को-आर्डिनेशन कौन्सिल के साथ बैठक

क्रमांक	विषय	कौन्सिल के सदस्यों के साथ बैठक की जानकारी	श्री राजीव रंजन मिश्र, अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक, वेकोलि तथा अधिकारियों के साथ की गई चर्चा की जानकारी
1.	अनुसूचित जाति/जनजाति के एक निदेशक का निदेशक मण्डल में समावेश	अध्यक्ष वेकोलि ने अवगत कराया कि कंपनी के निदेशक मण्डल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाये। मा. सदस्या ने इस विषय को भारत सरकार के साथ उठाने का आश्वासन दिया।	मा. सदस्या ने वेकोलि के अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा कर उन्हें बताया की वे भारत सरकार के साथ इस विषय पर पत्राचार आयोग के माध्यम से करेंगी।
2.	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की समस्याओं के निपटारे के लिये वेकोलि नागपुर/क्षेत्रीय इकाई स्तर पर शिकायत रजिस्टर रखने के संबंध में।	कुछ क्षेत्र तथा ईकाई में आज तक शिकायत रजिस्टर नहीं रखे गये हैं मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया की वे जल्द ही वेकोलि के सभी माईन्स कार्यालय में शिकायत रजिस्टर रखवाने का प्रबंध करेंगे।
3.	वेकोलि में काउंसिल को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग	वेकोलि के सभी मण्डलों एवं समितियों जैसे जे.वी.सी. आई कल्याण बोर्ड, कल्याण समिति, संचालन समिति आदि में काउंसिल को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग है। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक ने इस विषय पर मा. सदस्या को जानकारी दी की जो अनुसूचित जनजाति के लोग समिति के सदस्य नहीं है। विभिन्न समितियों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नहीं रखने का कोई विशेष कारण नहीं है। भविष्य में समितियां बनाते समय इस विषय पर ध्यान रखा जा सकता है।

4.	काउंसिल के पदाधिकारियों को सवेतन विशेष छुट्टी की सुविधा	काउंसिल के सेनीनारों में काउंसिल के पदाधिकारियों को सवेतन विशेष छुट्टी की सुविधा प्रदान करने की मांग रखी गई। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने बताया कि नियमानुसार इस प्रकार के विशेष अवकाश दिये जाने का कोई नियम नहीं है। अतः यह मांग उचित नहीं है।
5.	काउंसिल के सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क/हेल्पफण्ड के संबंध में	काउंसिल ने सदस्यता शुल्क/हेल्पफण्ड की वेतन से कटौती के संबंध में सदस्यों द्वारा दिये गये अधिकार पत्र के आधार पर उनके वेतन से काउंसिल की सदस्यता शुल्क की वेतन से कटौती करने की मांग रखी गई। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने बताया कि कर्मचारियों से कटौती के सम्बंध में अधिकार पत्र लेकर पंजीकृत काउंसिल के सदस्यों की सदस्यता शुल्क/हेल्पफण्ड की कटौती किये जाने पर विचार किया जा सकता है।
6.	वेकोलि द्वारा काउंसिल द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति/अ.प.वर्ग कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में लिखे पत्रों का उत्तर देने के संबंध में।	वेकोलि सहित उसकी सभी अनुशंगी कंपनियां, काउंसिल द्वारा अनुसूचित जाति /जनजाति/अ.प.वर्ग कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में लिखे पत्रों का उत्तर नहीं देते हैं। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने बताया कि इस प्रकार का कोई पत्राचार मेरे ज्ञान में नहीं है। सी.एम.डी. महोदय ने कहा कि वे अपने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे।
7.	अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदों को समय पर भरने के संबंध में।	काउंसिल ने बताया कि वेकोलि द्वारा अनु.जनजाति के पदों को समय-समय पर नहीं भरा जाता है, परिणाम स्वरूप आरक्षित पदों का बैकलॉग बढ़ता जाता है। जिसका भविष्य में यह परिणाम होता है कि	प्रबंधन ने बताया कि उसकी सभी इकाईयों में बैकलॉग की भर्ती के समय भारत सरकार के दिशा निदेशों को विधिवत पालन किया जाता है। बैकलॉग के पदों पर भी वेकोलि नियमानुसार भर्ती करने का आश्वासन देती हैं।

		<p>पदोन्नति के समय फीडर कैडर में आरक्षित पदों को भरने के लिए व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।</p>	
8	<p>वेकोलि नागपुर के रोस्टर को काउंसिल के पदाधिकारियों को देखने की अनुमति प्रदान करना तथा केन्द्र सरकार के संबंधित अधिकारियों से रोस्टर की जांच कराना</p>	<p>वेकोलि नागपुर के रोस्टर को काउंसिल के पदाधिकारियों को देखने की अनुमति प्रदान करना तथा केन्द्र सरकार के संबंधित अधिकारियों से रोस्टर की जांच करवाने की मांग रखी।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।</p>	<p>प्रबंधन से इस विषय पर चर्चा के दौरान मा. सदस्या ने कहा कि काउंसिल को रोस्टर देखने की अनुमति दी जाना चाहिए। सम्भव हो तो रोस्टर को ऑनलाईन करना अधिक सुविधाजनक होगा। जिससे पारदर्शिता बनने के कारण काउंसिल तथा प्रबंधन के बीच इस विषय पर मतभेद नहीं रहेंगे। प्रबंधन ने इसे शीघ्र ही किये जाने का आश्वासन दिया।</p>
9	<p>वेकोलि में कार्यरत अनु. जनजाति वर्ग के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।</p>	<p>वेकोलि में कार्यरत अनु. जनजाति वर्ग के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में मांग रखी गई ताकि वे कैरियर ग्रोथ सुचारु रूप से कर सकें।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।</p>	<p>प्रबंधन ने बताया कि वर्तमान में विदेश प्रशिक्षण कर अधिकारियों को कम संख्या में भेजा जा रहा है। प्रबंधन विशेष योग्यता के आधार पर अनु. जनजाति के अधिकारियों को विदेश प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिये वचनबद्ध है।</p>
10	<p>वेकोलि में अनु.जनजाति के भूधारको को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किये जाने के संबंध में।</p>	<p>वेकोलि में अनु.जनजाति के भूधारको/भू-आश्रितों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किये जाने की मांग रखी गई।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।</p>	<p>प्रबंधन ने बताया कि भूआश्रितों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार रोजगार प्रदान किये जाने की यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।</p>

11	वेकोलि में भारत सरकार के दिशा निर्देशों, सिफारिशों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के संबंध में।	वेकोलि में भारत सरकार के दिशा निर्देशों, सिफारिशों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन पूर्णतः नहीं किया जाता है। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने बताया कि वे नियमों/निर्देशों का पालन करने हेतु वचनबद्ध है।
12	वेकोलि में श्रमिक संगठनों को सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में।	वेकोलि में श्रमिक संगठनों को कार्यालय, टेलिफोन, फर्नीचर, इन्टरनेट, आदि सुविधाएँ प्रदान करने के संबंध में मांग रखी गई। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने कहा कि वे समय-समय पर श्रमिक संगठनों को सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। भविष्य में भी इसका ध्यान रखा जायेगा।
13	(i) स्व. कज्जू, माजी लोडर पाथा खेड़ा क्षेत्र, के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में। (ii) स्व. विट्टल कबडू कनाके लोडर के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने बावत्।	स्व. कज्जू, माजी लोडर पाथा खेड़ा क्षेत्र, की पत्नि श्रीमती मिल्लों बाई के असमर्थ होने के कारण उसकी आश्रित पुत्री राम प्यारी को अनुकंपा नियुक्ति देने तथा स्व. विट्टल कबडू कनाके लोडर के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि प्रकरण पर अपने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे। (अभ्यावेदन संलग्न है।)
14	मृतक मारोती बवन आत्राम ठेकेदार कामगार बल्लारपुर क्षेत्र की इयूटी के दौरान मृत्यु के संबंध में।	मृतक मारोती बवन आत्राम ठेकेदार कामगार बल्लारपुर क्षेत्र की इयूटी के दौरान दिनांक 10-02-2018 को दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई जिसका मुआवजा नहीं मिला है।	प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि प्रकरण पर अपने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

		मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	
15	<p>(i) श्रीमती ज्योतिराम दास सिडाम का केटे 2 वणी नार्थ क्षेत्र का पे -फिक्शेसन</p> <p>(ii) श्री महेश राजगढ़े ईपी फिटर केटे 2 वणी नार्थ क्षेत्र की पदोन्नति के संबंध में।</p> <p>(iii) श्री बी.बी उईके मेके फिटर माजरी क्षेत्र को पदोन्नति के संबंध में।</p> <p>(iv) श्री जे.के येरमें मेके फिटर केटे 6 माजरी क्षेत्र को पदोन्नति देने के संबंध में।</p> <p>(v) श्री कमलाकर मारकंडी उईके तथा श्री जितेन्द्र विलास टेकाम, भू-आश्रित को रोजगार दिये जाने के संबंध में</p> <p>(vi) श्री महेश राजगढ़े ईपी फिटर केटे 2 वणी नार्थ क्षेत्र की पदोन्नति के संबंध में।</p>	<p>सभी बिन्दुओं पर काउंसिल द्वारा कार्यवाही करने की मांग रखी गई है।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।</p>	<p>प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि प्रकरण पर अपने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।</p>
16	<p>श्रीमती विनिता कटोले चपरासी तडाली वर्कशॉप को प्रशासकीय भवन में स्थानान्तरित करने तथा अनु.जनजाति वर्ग का होने के कारण दुर्भावनावश सुविधाओं से वंचित रखने के संबंध में।</p>	<p>श्रीमती विनिता कटोले चपरासी तडाली वर्कशॉप को प्रशासकीय भवन में स्थानान्तरित करने तथा अनु.जनजाति वर्ग का होने के कारण दुर्भावनावश सुविधाओं से वंचित रखने के संबंध में अवगत कराया गया।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली</p>	<p>प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि प्रकरण पर अपने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।</p>

		बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	
17	दादाजी राम जी मडावी अहिरी गोरगांव वणी नार्थ क्षेत्र के भू-आश्रितों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में।	दादाजी राम जी मडावी अहिरी गोरगांव वणी नार्थ क्षेत्र से भू-संपादन किया गया। श्री मडावी की केवल पुत्रियां हैं, उनके पुत्र नहीं हैं। वेकोलि द्वारा उनके दामादों को रोजगार प्रदान करने के संबंध में अवगत कराया गया। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि प्रकरण पर अपने अधिनस्थ अधिकारियों से चर्चा कर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।
18	बैकलॉग के पद भरने के संबंध में।	वेकोलि में कार्यरत अधिकारियों का मेन पावर 2390 है तथा उसमें अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या 38 है जबकी 179 चाहिये तथा कोल इंडिया सहित सभी अनुषंगी कम्पनीयों को मेन पावर 15954 है तथा कार्यरत अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या 675 है जबकी 1196 होनी चाहिए। जिसमें अगर कोल इंडिया लिमिटेड तथा अनुषंगी कंपनीयों में जो 7.5 प्रतिशत भी लेते हैं तो रिक्त अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के भिन्न भिन्न ट्रेड/ग्रेड में 521 पद रिक्त है। जिसकी छायाप्रति संलग्न है।	प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि वेकोलि में भर्ती के समय भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए सभी बैकलॉग पदों पर भर्ती की जायेगी।
19	आश्रितों को तथा भू-विस्थापितों के आश्रितों को अंडरग्राउंड खादानों से सरफेस लाने के लिए लगाया गया प्रतिबंध हटाने के संबंध में।	आश्रितों को तथा भू-विस्थापितों के आश्रितों को इस शर्त पर नौकरी दी जाती है कि वह अंडरग्राउंड खादानों से सरफेस पर लाने के लिए	प्रबंधन ने बताया कि भर्ती के समय सभी नियमों का ध्यान रखा जाता है। जिन पदों की मांग होती है, उन्ही पदों पर भर्ती की जाना सम्भव होती है। योग्यता के

	<p>आवेदन नहीं देंगे। यह शर्त/प्रतिबंध अंडरग्राउंड खादानों में कार्टरत उच्च शिक्षित आश्रितों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।</p>	<p>अनुसार भविष्य में उन्हे पदोन्नती दी जाती है।</p>
--	---	---

कोल इण्डिया एस.सी./एस.टी. एम्पलॉईज असोसिएशन (सिस्ट)

क्रमांक	विषय	सिस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की जानकारी	श्री राजीव रंजन मिश्र, अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक, वेकोलि तथा अधिकारियों के साथ की गई चर्चा की जानकारी
1	200 पाईन्ट रोस्टर लागू करने के संबंध में।	<p>200 पाईन्ट रोस्टर आज तक सुचारु रूप से लागू नहीं किया गया है।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।</p>	<p>प्रबंधन ने बताया कि 200 पाईन्ट रोस्टर लागू है। प्रबंधन डी.आ.पी.टी के सभी निर्देशों का पालन करने के लिये वचनबद्ध है।</p>
2	1983 से क्वार्टर रोस्टर का निर्माण नहीं किया गया है।	<p>1983 से क्वार्टर रोस्टर का निर्माण नहीं किये जाने के संबंध में अवगत करवाया गया।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।</p>	<p>प्रबंधन ने मा. सदस्या को बताया कि वर्तमान में क्वार्टर रोस्टर का पालन हो रहा है। हमारी ईकाईयों में क्वार्टर रिक्त है। यदि भविष्य में आवश्यक होगा तो क्वार्टर का अवश्य निर्माण किया जायेगा।</p>
3	प्रबंधन में सहभागिता सिद्धांत अनुसार WCL के कार्यरत 5 CTU को विधि कमेटी में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में।	<p>प्रबंधन में सहभागिता सिद्धांत अनुसार WCL के कार्यरत 5 CTU को विधि कमेटी में प्रतिनिधित्व देने के संबंध में अवगत कराया।</p> <p>मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली</p>	<p>अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक ने इस विषय पर मा. सदस्या को जानकारी दी की जो अनुसूचित जनजाति के लोग समिति के सदस्य नहीं है। विभिन्न समितियों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को नहीं रखने का कोई विशेष कारण नहीं है भविष्य में समितियां बनाते समय इस विषय पर ध्यान रखा जा</p>

		बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	सकता है।
4	अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के विभिन्न रोस्टरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिस्टा के प्रतिनिधियों को भेजने के संबंध में।	अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के विभिन्न रोस्टरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सिस्टा के प्रतिनिधियों को भेजने के संबंध में अवगत कराया गया। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने बताया कि समय-समय पर रोस्टर के प्रशिक्षण के लिये प्रबंधन द्वारा कार्यशालाएं करने का विचार है। भविष्य में जल्द ही कार्यशालाएं कराई जायेगी।
5	अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के भू-आश्रितों को उनके शिक्षा के आधार पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में।	अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के भू-आश्रितों को उनके शिक्षा के आधार पर नियुक्ति दिये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। मा.सदस्या ने विषय को प्रबंधन के साथ होने वाली बैठक में उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने बताया कि शिक्षा के आधार पर नियुक्ति दी जाने के प्रयास किये जाते हैं। किन्तु पदों की भर्ती के समय भू-आश्रितों को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है।


श्रीमती माया चिंतामणि ईश्वरते
Smt. Maya Chintamni Inate
 सदस्य / Member
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi


सुश्री अनुसुइया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi

दिनांक 02 अप्रैल 2018

दिनांक 02 अप्रैल 2018 को सुश्री अनुसुईया उईके, मा. उपाध्यक्ष तथा श्रीमती माया चिंतामन इवनाते माननीया सदस्या ने जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया। जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा क्षेत्र के वेकोलि के विश्राम गृह में अनुसूचित जनजाति कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली तथा उनकी सभी समस्याओं को सुना। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने ज्ञापन दिए गए।

वेकोलि जुन्नारदेव, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के अनु.जाति तथा अनु.जनजाति कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक दिनांक 02-04-2018

ऑल इन्डिया शेड्यूल कास्ट्स/ शेड्यूल ट्राईब्स/बैकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल के साथ बैठक

क्रमांक	विषय	कर्मचारी संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक की जानकारी	श्री राजीव रंजन मिश्र, अध्यक्ष सहप्रबंध निदेशक, वेकोलि तथा अधिकारियों के साथ की गई चर्चा की जानकारी
1	भूतपूर्व कामगार स्व. श्री रामप्रसाद पिता झूलन तानसी, कालरी की आश्रित पुत्री कुमारी उज्जवला को रोजगार प्रदान करने के संबंध में।	भूतपूर्व कामगार स्व. श्री रामप्रसाद पिता झूलन तानसी, कालरी की आश्रित पुत्री कुमारी उज्जवला को रोजगार प्रदान करने के संबंध में अवगत कराया मा. उपाध्यक्ष तथा मा. सदस्या ने इस विषय को भारत सरकार के साथ उठाने का अश्वासन दिया।	प्रबंधन ने बताया कि प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
2	नागपुर क्षेत्र में कार्यरत श्री सोनाली गाडेकर, लिपिक ग्रेड -3 के स्थानांतरण के संबंध में।	नागपुर क्षेत्र में कार्यरत श्री सोनाली गाडेकर, लिपिक ग्रेड -3 का स्थानांतरण क्षेत्रीय वर्कशॉप सिल्लेवाड़ा से नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय में करने के संबंध में। मा. उपाध्यक्ष तथा मा. सदस्या ने इस विषय को भारत सरकार के साथ उठाने का अश्वासन दिया।	प्रबंधन ने बताया कि प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
3	श्री सुरेश पिता बृजलाल, पेंटर केटे 4 की पदोन्नति के संबंध	श्री सुरेश पिता बृजलाल, पेंटर केटे 4 की पदोन्नति	प्रबंधन ने बताया कि प्रकरण पर नियमानुसार

	में।	वर्ष 2009 में हुई थी। उसके पश्चात् उन्हें आज तक कोई पदोन्नति नहीं दी गई। मा. उपाध्यक्ष तथा मा. सदस्या ने इस विषय को भारत सरकार के साथ उठाने का आश्वासन दिया।	कार्यवाही की जायेगी।
4	C.S.R. के तहत वेकोलि, कन्हान, पेंच एवं पाथा खेड़ा क्षेत्र की सभी ईकाईयों में निशुल्क इलाज करने की सुविधा हेतु।	कन्हान क्षेत्र अनु.जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। अतः C.S.R. के तहत वेकोलि, कन्हान, पेंच एवं पाथाखेड़ा क्षेत्र की सभी ईकाईयों में निशुल्क इलाज करने की सुविधा वेकोलि प्रबंधन द्वारा की जाना चाहिए। मा. उपाध्यक्ष तथा मा. सदस्या ने इस विषय को भारत सरकार के साथ उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे।
5	कन्हान क्षेत्र के दमुआ में महिला प्रशिक्षण केन्द्र में शौचालय का निर्माण	कन्हान क्षेत्र के दमुआ में महिला प्रशिक्षण केन्द्र में शौचालय का निर्माण करवाये जाने की मांग रखी गई। मा. उपाध्यक्ष तथा मा. सदस्या ने इस विषय को भारत सरकार के साथ उठाने का आश्वासन दिया।	प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि इस विषय पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे।


श्रीमती माया चिंतामणि ईवनाते
Smt. Maya Chintamni Inate
 सदस्य / Member
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi


सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi



*Ms
Coc*

श्रीमती माया चिंतामन ईवनाते
Smt. Maya Chintamn Ivnate
 सदस्य / Member
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi

Uikey

सुश्री अनुसुईया उइके / Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष / Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिये गये बिंदुओं पर 02 अप्रैल 2018 को कन्हान, पेंच, पाथाखेड़ा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में बिन्दुओं पर की गई चर्चा : -

क्र.	मांग	प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी																																			
1	धनकशा, परासिया कोयला खदान परियोजना के लिये अधिग्रहीत की जा रही भूमि के भू-स्वामियों का पुनर्वास एवं मुआवजा प्रकरण के संबंध में।	<p>धनकशा अंडरग्राउंड माइन, पेंच क्षेत्र के लिए बेहरिया, बांकी, अमाकोल (सेजवाडा खुर्द) एवं पायली गांव, तहसील अमरवाडा एवं परासिया जिला छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश) की 549.131 हेक्टर या 1356.902 एकड़ भूमि कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के अंतर्गत नोटिफाइड की गई जो कि निम्नानुसार है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>S.N</th> <th>Notification U/s</th> <th>SO No.</th> <th>Dt.of Notification</th> <th>Dt.of Publication</th> <th>Area in Ha.</th> <th>Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>U/s 4(1)</td> <td>160</td> <td>10.01.2011</td> <td>15.01.2011</td> <td>549.131</td> <td>Prospecting of coal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U/s 7(1)</td> <td>89(E)</td> <td>25.12.2011</td> <td>19.01.2012</td> <td>549.131</td> <td>Intention to acquire</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U/s 9(1)</td> <td>497(E)</td> <td>23.02.2013</td> <td>01.03.2013</td> <td>549.131</td> <td>Declaration of acquisition</td> </tr> <tr> <td></td> <td>U/s 11(1)</td> <td>02</td> <td>19.12.2013</td> <td>04.01.2014</td> <td>549.131</td> <td>Vesting of land in Govt. Company</td> </tr> </tbody> </table> <p>राज्य सरकार का राजस्व रिकार्ड अपडेट न होने के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में देरी हुई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। प्रबंधन ने बताया कि दिनांक 01-04-2017 को ही मुख्यालय से आदेश प्राप्त हो गये है, जिसके तहत कार्यवाही की जायेगी।</p>	S.N	Notification U/s	SO No.	Dt.of Notification	Dt.of Publication	Area in Ha.	Remarks	1	U/s 4(1)	160	10.01.2011	15.01.2011	549.131	Prospecting of coal		U/s 7(1)	89(E)	25.12.2011	19.01.2012	549.131	Intention to acquire		U/s 9(1)	497(E)	23.02.2013	01.03.2013	549.131	Declaration of acquisition		U/s 11(1)	02	19.12.2013	04.01.2014	549.131	Vesting of land in Govt. Company
S.N	Notification U/s	SO No.	Dt.of Notification	Dt.of Publication	Area in Ha.	Remarks																															
1	U/s 4(1)	160	10.01.2011	15.01.2011	549.131	Prospecting of coal																															
	U/s 7(1)	89(E)	25.12.2011	19.01.2012	549.131	Intention to acquire																															
	U/s 9(1)	497(E)	23.02.2013	01.03.2013	549.131	Declaration of acquisition																															
	U/s 11(1)	02	19.12.2013	04.01.2014	549.131	Vesting of land in Govt. Company																															
2	पेंच कान्हान, पाथाखेड़ा क्षेत्र में बंद हो रही खदानों के संबंध में।																																				
A	क्षेत्र में बंद की जा रही कोयला खदानों के बंद होने के कारण।	<p>कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड के दिशा निर्देशों तथा परामर्श के आधार पर वैकोलि द्वारा घाटे वाली भूमिगत खदानों की पहचान की गई एवं उसके पश्चात एक उच्च स्तरीय तकनीकी द्वारा उनके तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं की जांच की गई और उसके पश्चात वैकोलि में विभिन्न क्षेत्रों की 10 खदानों में उत्पादन को बंद करने की सिफारिश की गई जिसमें पेंच, कन्हान क्षेत्रों की खदानें भी शामिल है। इन खदानों की आर्थिक हालत अत्यन्त खराब है। वर्तमान में इन खदानों से कंपनी को बहुत अधिक हानि हो रही है। कोयला मंत्रालय से पेंच क्षेत्र की विष्णुपुरी माइन एवं कन्हान क्षेत्र की मुआरी खदान का उत्पादन निलंबित न करते हुए निदेशक खान सुरक्षा की सहायता से सेपटी इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तब तक ये खदानें यथावत रहेगी।</p> <p>वैकोलि के विभिन्न क्षेत्रों में कई नई भूमिगत खदानें खोलना प्रस्तावित है उनमें से पेंच क्षेत्र की जमुनिया खदान शुरु करने हेतु इंकलाइन ड्राइवेज का काम चालू है। साथ ही साथ जमीन आदि के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है। धनकशा खदान हेतु भी जल्द ही प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए आवश्यक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने पर उक्त खदान को भी जल्द से प्रारंभ किया जाएगा। वैकोलि के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ नयी खदानों के खोलने की संभावनाओं पर भी विचार जारी है। इसके अलावा वर्तमान में चालू खदानों से उत्पादन को बढ़ाने तथा घाटे को कम करने की संभावनाओं पर चिन्ता किया जा</p>																																			

		रहा है।
3	आरक्षित वर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का रोस्टर संधारण किया गया है अथवा नहीं जानकारी प्रस्तुत करें।	
A	रोस्टर का संधारण किस स्तर पर किया जाता है।	वेकोलि में पदोन्नति स्तर पर रोस्टर का संधारण किया जाता है। ईकाई/खदान स्तर पर उपक्षेत्रीय एवं क्षेत्रीय के अलावा मुख्यालय स्तर पर रोस्टर संधारण किया जाता है।
B	पदोन्नति समिति की बैठकें कब कब होती हैं और कब कब की गई हैं प्रस्तुत करें।	विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन एवं पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष माह अगस्त-सितम्बर में होती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भी डी.पी.सी की बैठकें माह अगस्त एवं सितम्बर, में विभिन्न तिथियों में की गई हैं।
C	आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की समस्याओं के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त है अथवा नहीं।	क्षेत्रीय स्तर पर वेकोलि मुख्यालय में संपर्क अधिकारी नियुक्त है। 
D	आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों का क्या रजिस्टर संधारित किया जाता है या नहीं, जानकारी प्रस्तुत करें।	हां, प्रत्येक क्षेत्र एवं मुख्यालय स्तर पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
1	वेलफेयर सेन्टर जुंगरिया के भवन को राज्य शासन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संधारित किया जाता है या नहीं, जानकारी प्रस्तुत करें।	कन्हान क्षेत्र के प्रत्येक ईकाई/उपक्षेत्र के कालोनी के आवास में कामगार/कर्मचारी उनके परिवार के साथ निवासरत हैं तथा क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहे हैं। उपक्षेत्रीय स्तर पर कामगारों के स्थानांतरण होने पर भी कामगार को उसी आवास में रहने की सुविधा मुहैया करवायी गयी है, जहां पर रहते हुए भी कामगार वहां उपलब्ध अस्पताल /डिस्पेंसरी से इलाज की सुविधा प्राप्त करता है। अतः ऐसी स्थिति में वेलफेयर सेन्टर जुंगरिया को राज्य शासन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने के लिए दिए जाने पर प्रबंधन असमर्थ है।

5 सीएसआर की राशि का उपयोग किस स्तर पर किसकी अनुशंसा पर किया जाता है। क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए गए हैं।

सी.एस.आर गतिविधियों को संचालित किए जाने हेतु 15 अक्टूबर, 2015 को कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा सी.एस.आर पॉलिसी को कोल इंडिया बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

वेकोलि के सी.एस.आर फण्ड को कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर आवंटित किया जाता है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के तीन साल या 02/-रुपये प्रतिटन कोयला उत्पादन में से जो अधिक ि पर किया जाता है

सी.एस.आर गतिविधियों वेकोले सी.एस.आर बोर्ड से स्वीकृत किए जाने के पश्चात किया जाता है।

Year	SC	ST	OBC	Gen.
2015-16	-	-	-	06
2016-17	-	-	01	09
2017-18	-	-	-	01
Total	-	-	0	16

6 पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या एवं प्रत्येक वर्ष में उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों का विवरण।

प्रबंधन ने चर्चा के दौरान आश्वासन दिया कि योग्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजने के लिये कोलइंडिया को अवश्य लिखेंगे।

7 आपके एरिया में फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर व्यक्तियों ने राजगार प्राप्त किया हो यदि हां, तो कृपया ऐसे मामलों की संख्या, की गई कार्रवाई और प्रत्येक मामले में वर्तमान स्थिति तथा ऐसे मामलों के घटित होने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

ऐसा कोई भी प्रकरण प्रबंधन की जानकारी में नहीं आया है।




8 प्रबंधन बोर्ड की संरचना क्या है। बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित

प्रबंधन बोर्ड की संरचना, कोल मंत्रालय द्वारा की जाती है जिसमें कोल इंडिया अथवा इसकी अनुषंगी कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है।

	है या नहीं।	
9	क्या संगठन एवं कर्मचारी संघों के बीच समझौते को छोड़कर कोई करार है	ऐसा कोई करार नहीं है।
10	दिवंगत कर्मचारी श्री चतरु पिता झीनू की एकमात्र आश्रित तलाकशुदा पुत्री श्रीमती बसंतीबाई (एस.टी.) को अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण को लम्बे समय तक लंबित रखने तथा बाद में अमान्य किये जाने के संबंध में।	श्री चतरु की मृत्यु दिनांक 05-10-2003 को होने के पश्चात् आश्रित पत्नी श्रीमती विपती बाई ने रोजगार के स्थान पर आर्थिक मुआवजा हेतु दावा दिनांक 15-01-2014 को प्रस्तुत किया था। श्रीमती विपती बाई के अशिक्षित होने के कारण उनकी आयु निर्धारण समिति द्वारा आयु निर्धारित करवायी गई जिसके अनुसार उनकी उम्र दावा प्राप्ति की तिथि में 62 वर्ष पायी गयी इसलिए उनके आर्थिक मुआवजा के प्रकरण को स्वीकृत नहीं किया गया। स्व. चतरु के आश्रित के रूप में पुत्री बसंतीबाई ने दिनांक 02-12-2015 अर्थात् पिता के मृत्यु के लगभग 12 वर्ष के पश्चात् रोजगार दिये जाने हेतु दावा प्रस्तुत किया। श्रीमती बसंतीबाई के दावे प्रस्तुतीकरण के समय वे विवाहित पायी गयी। उनका विवाह 1998 में श्री स्वरूप रामस्वरूप के साथ हुआ था परन्तु उनका तलाक 19-12-2016 को परासिया सिविल कोर्ट द्वारा हुआ। चर्चा के दौरान प्रबंधन ने आश्वासन दिया है, प्रकरण पर पुनः विचार किया जाएगा।
11	कर्मचारियों के चिकित्सा आधार पर अनफिट प्रकरणों की स्थिति क्या है, इसमें से जनजाति वर्ग की क्या स्थिति है तथा इसके क्या प्रावधान हैं।	क्षेत्र के स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा मेडिकल अनफिट के ऐसे मामले जिसे क्षेत्र की समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्यालय प्रेषित किये जाते हैं एवं ऐसे सभी मामलों का निपटारा 9.4.0 बोर्ड द्वारा किया जाता है।
12	श्री शिवराम यदुवंशी, भूतपूर्व चपरासी की भविष्य निधि की राशि भुगतान के संबंध में।	श्री शिवराम ने भविष्य निधि एवं पेंशन के दावों से संबंधित बहुत से कागजात नहीं दिये थे साथ ही साथ खान कार्यालय, घोराबाडी, कन्हान क्षेत्र में चूंकि शेड्यूल टाइम से एक माह देर से दावा जमा कर रहे थे इसलिए इकाई प्रबंधन द्वारा उनको निर्देश दिये गये कि संबंधित कागजात जमा करें/दुरुस्त करे और देर से जमा करने का कारण बताये। संबंधित कामगार ने सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए आवेदन दिनांक 25 दिसम्बर 2017 को जमा किया और देरी से जमा करने के कारण में उन्होंने दर्शाया कि वे संबंधित कानून से अनभिज्ञ हैं। क्षेत्र द्वारा उस दावे को पेंशन विभाग में 27/03/2018 को भेजा गया तथा आयुक्त, कोयला खान भविष्य निधि, छिन्दवाड़ा द्वारा उनको भविष्य निधि से संबंधित निम्नलिखित राशि स्वीकृत की गई।

		भविष्य निधि	24,75,606.00
		पेंशन	12,082.00
		एरियर्स	96,656.00
13	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिवेदन के उन सभी बिंदुओं पर जिन पर प्रबंधन ने आयोग को आश्वासन दिया है, पर कार्यवाही कर आयोग को एक माह के भीतर अवगत करावें। 	


श्रीमती माया चिंतामन इवनाते
Smt. Maya Chintaman Ivrate
 सदस्य / Member
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार / Govt. of India
 नई दिल्ली / New Delhi


(सुश्री अनुसुईया उइके)
 उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 भारत सरकार, नई दिल्ली
 (दौर करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
 उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 National Commission for Scheduled Tribes
 भारत सरकार/Govt. of India
 नई दिल्ली/New Delhi

(श्रीमती माया चिंतामन इवनाते)
 सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
 भारत सरकार, नई दिल्ली
 (दौर करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर)